

Order Sheet [Contd]

Case No. 76/16 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.02.17	<p>परिवारी अनुपास्थित की ओर से कोई आदि. भी उप. नहीं। परिवारी एवं उसके आदि. की आपापसा में वार-वार पुकार लगाई गई, परंतु कोई उपास्थित नहीं हुआ।</p> <p>अतः आज आरोपी की उपास्थिति हेतु निपट है।</p> <p>परिवारी द्वारा वलवाना न दिए जाने के कारण आरोपी को समन जारी नहीं किया जा सका है।</p> <p>यह उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध दिनांक 24.02.16 को परिवार का संज्ञान लिया गया था। उसके परन्तु परिवारी द्वारा आज दिनांक तक एक भी बार वलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण आरोपी को सूचनापत्र जारी नहीं किया जा सका है। परिवारी को पूर्व में भी कई बार वलवाना प्रस्तुत किए जाने के लिए आदेशित किया गया था, परंतु परिवारी द्वारा अभी भी आरोपी की उपास्थिति हेतु वलवाना नहीं दिया गया है।</p> <p>आज दिनांक को परिवारी अनुपास्थित है। परिवारी की ओर से कोई आदि. भी उप. नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवारी प्रस्तुत परिवार में आगे कार्यवाही करने का इच्छुक नहीं है। परिवारी की अनुपास्थिति का कोई कारण भी दर्शित नहीं है। अतः प्रस्तुत परिवार परिवारी की अनुपास्थिति में द.प्र.स. की धारा 256 के अंतर्गत निरस्त किया जाता है।</p> <p>आरोपी को प्रथम में उल्लेखित आदि. की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>अतः आज परिणाम दर्ज कर आर्किववागीर भेजा जावे।</p>	

प्रतिष्ठा अवस्था

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मोहद जिला- भिण्ड (ब.प्र.)